न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्रीमती कंचन राठौड़ आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या – 8937/2018
जीएसएमएस सं. – 2018/00495

–:: प्रार्थी ::–
अजय पुत्र देरामराम जाति जाट
निवासी बोयल, तहसील पीपाड़ शहर
जिला जोधपुर।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–
1. मंवरलाल पुत्र देरामराम जाति जाट
2. शेरारराम पुत्र हेमाराम जाति जाट
3. नेनी पत्नि मिश्रा जाति जाट
4. पूरारराम पुत्र मिश्रा जाति जाट
5. ओमप्रकाश पुत्र मिश्रा जाति जाट
6. गोकल पुत्र अनाराम जाति जाट
7. हापूराम पुत्र अनाराम जाति जाट
8. कानाराम पुत्र रामरख जाति जाट
9. धीराराम पुत्र रामरख जाति जाट
10. गोमती पुत्री रामरख जाति जाट
11. नर्बदा पुत्री रामरख जाति जाट
सभी निवासीगण ग्राम बोयल तहसील पीपाड़ शहर।
12. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 काश्तकारी अधिनियम 1955

दर्ज तारीख :– 21.12.2018

उपस्थित अधिवक्ता :–
1. श्री मधुसुदन चौधरी, अभिभाषक, प्रार्थी
2. श्री रामदयाल चौधरी अभिभाषक, अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 30.01.2023

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि यह है कि ग्राम बोयल तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है कि :–

खाता सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
732	1308	2.2005 हैक्टयर	बारानी प्रथम
	1311	4.2553 हैक्टयर	बारानी प्रथम
	1713	5.5659 हैक्टयर	बारानी प्रथम
	1725	1.6261 हैक्टयर	बरानी प्रथम
	1777	5.0724 हैक्टयर	बारानी प्रथम

उपरोक्त वर्णित आराजी को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्ब किया जायेगा। प्रार्थना पत्र के पद सं. दो में वर्णित वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

खातेदारी कब्जासुद जमीन है जिसमें प्रार्थी का 1/2 वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. एक का 1/12 वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. दो का 1/6 वां हिस्सा व अप्रार्थी सं. तीन का 1/9 वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. चार का 1/9 वा हिस्सा अप्रार्थी संख्या पाँच का 1/9 या हिस्सा, अप्रार्थी संख्या छह का 1/9 वा हिस्सा अप्रार्थी संख्या सात का 1/9 यां हिस्सा, अप्रार्थी संख्या आठ का 1/36 वा हिस्सा अप्रार्थी संख्या नौ का 1/36 यां हिस्सा, अप्रार्थी संख्या दस का 1 / 36 वा हिस्सा, अप्राची संख्या ग्यारह का 1/36 वा हिस्सा है। इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक से ग्यारह संयुक्त रूप से साहूलियत अनुसार शामलाती रूप से काश्त करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजी का आज दिन तक कानून अनुसार बटवाड़ा किया हुआ नहीं है। वादग्रस्त आराजी अविभाजित आराजी है जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक से ग्यारह संयुक्त रूप से काबिज होकर कास्त करते आ रहे है इसलिए प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी का कानून अनुसार बंटवाड़ा करवाने हेतु कई बार अप्रार्थीगण को कहा लेकिन अप्रार्थीगण टालमटोल करते आ रहे है हाल ही में दिनांक 12/12/2018 को अप्रार्थी संख्या एक अजनवी व्यक्तियों को लेकर वादग्रस्त आराजी पर आये तथा वादग्रस्त आराजी को बेचान करने की गरज से दिखाने लगे इस पर प्रार्थी ने मना किया कि अभी तक वादग्रस्त आराजी अविभाजित है जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक से ग्यारह शामलाती रूप से साहुलियत अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है जिसका कानून अनुसार बटवाड़ा किया हुआ नहीं है इसलिए अविभाजित आराजी के प्रत्येक इंच जमीन पर प्रत्येक सहखातेदार कास्तकार का समान हक व हिस्सा है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या एक को वादग्रस्त आराजी को बेचान करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है इस पर अप्रार्थीगण अत्यधिक नाराज हो गये तथा प्रार्थी को ऐलानिया रूप को धमकी दी कि वह वादग्रस्त आराजी की कीमती जमीन देखकर अजनबी व्यक्तियो को वैचानकर देगा तथा वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल कर देगा, जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है जिसके लिए वादी को उक्त बाद पत्र बाबत जारी करने अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना पड़ रहा है। यह है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक से ग्यारह संयुक्त रूप से सामूलियत अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। इसलिए को अपनी खातेदारी जमीन का बंटवाड़ा करवाने का पूर्ण अधिकार है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में है क्योंकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कब्जासूद जमीन है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से माफिक हक हिस्सा अनुसार काबिज़ होकर काश्त करते आ रहे है जिसमें प्रत्येक इंच जमीन पर प्रत्येक सह खातेदार काश्तकार का समान हक व हिस्सा है ऐसी स्थिती में अविभाजित वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थी संख्या एक को बेचान हस्तान्तरण करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है अगर अप्रार्थी संख्या एक ने अविभाजित आराजी की किमती भाग को वैचान कर दिया व प्रार्थी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी जिसका मुल्याकन रूपया पैसों में आका नही जा सकेगा। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि राजस्व मूल वाद के विचारण के दौराण प्रार्थी के हक में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आश्य की अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी फरमाया जाये कि ग्राम बोयल की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नंम्बर 1308, 1311,1713,1725, 1777 कुल खसरा 05 कुल रकबा 115 14बीघा (18 7202 हैक्टयर) भूमि के प्रार्थी के 1/12 या हक हिस्सा कब्जासुद जमीन में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलनदाजी पैदा नही करें न किसी अन्य से करावे वादग्रस्त अविभाजित आराजी को अप्रार्थीगण किसी प्रकार से वैचान हस्तान्तरण नहीं करे न किसी अन्य से करात अविभाजित आराजी को अप्रार्थीगण किसी प्रकार से खुर्द बुर्द नही करे अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थी हो प्रार्थी के हक में अता फरमायें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, अप्रार्थी सं. 2 से 6 व 10 की ओर से वकील रामदयाल चौधरी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, अप्रार्थी सं. 1, 7, 8, 9, 11, के सम्मन बाद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं. 2 से 6 व 10 की ओर से वकील रामदयाल चौधरी को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने पर भी जवाब प्रस्तुत नही करने पर उनका जवाब बन्द किया गया ।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (जोधपुर

हमने बहस वकुलाय सुनी, वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि राजस्व मूल वाद के विचारण के दौराण प्रार्थी के हक में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आश्य की अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी फरमाया जाये कि ग्राम बोयल की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नंम्बर 1308, 1311,1713,1725, 1777 कुल खसरा 05 कुल रकबा 115. 14 बीघा (18.7202 हैक्टयर) भूमि के प्रार्थी के 1/12 या हक हिस्सा कब्जासुद जमीन में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलनदाजी पैदा नही करें न किसी अन्य से करावे वादग्रस्त अविभाजित आराजी को अप्रार्थीगण किसी प्रकार से बैचान हस्तान्तरण नहीं करे न किसी अन्य से करावे, अविभाजित आराजी को अप्रार्थीगण किसी प्रकार से खुर्द बुर्द नही करे अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थी हो प्रार्थी के हक में अता फरमायें जाने का निवेदन किया है । इसी प्रकार वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि संयुक्त खातेदारी भूमि है, बेचान हस्तान्तरण कर सकते है, बेचान हस्तान्तरण से नही रोक सकते है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन, मिथ्या बनावटी तथ्यो पर आधारित होने से मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया है।

हमने बहस वकुलाय सुनी जाकर, पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तोवजो का परिशीलन किया गया। पत्रावली के अवलोकन स्पष्ट है कि ग्राम बोयल के खसरा नम्बर 1308, 1311, 1713, 1725, 1777 में प्रार्थी व अप्रार्थी सहखातेदार काश्तकार है एवं प्रत्येक खातेदार के स्वयं के अधिकार होते हे। एक सहखातेदार के विरूद्ध अन्य सहखातेदार को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद करना न्यायालय न्यायोचित नही समझता है। प्रथम दृष्टयता प्रार्थी सिद्ध करने में असफल रहे है कि उक्त खसरान के संबंध में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की आवश्यकता क्यो है, व न ही प्रार्थीगण यह सिद्ध कर पाए है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को विवादग्रस्त भूमि से काश्त करने से रोक रहे हैं। अतः अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

CamScanner